

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ/०(4)ग्रावि/नरेगा/अधिशायी अभियन्ता/2011/०

जयपुर दिनांक 25 APR 2012

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद  
उदयपुर।

विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अधिशायी अभियन्ताओं को निवास पर दूरभाष बिल  
की राशि में 1000/ रूपये का पुर्नभरण बाबत।

सन्दर्भ:-आपका पत्र क्रमांक एफ-17(36) जी.प./टेली बिल/महानरेगा/2011-12/738

दिनांक 27.11.2011

सम्बन्धित

महोदय,

उपरोक्त

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिला स्तर पर अधिशायी अभियन्ताओं को विभाग के परिपत्र 20.06.2008 के अनुसार निवास के टेलीफोन हेतु अधिकतम 1000/-रु प्रतिमाह के पुर्नभरण की जो सुविधा दी गई थी। उक्त सुविधा मोबाईल फोन (सीयूजी) सुविधा देने के उपरान्त भी योजनान्तर्गत लाभ देय है अथवा नहीं के क्रम में वित्त विभाग के परिपत्र 05.08.2010 के अनुसार जिला स्तर पर कार्यरत अधिशायी अभियन्ता नरेगा को निवास पर फोन सुविधा का पुर्नभरण नहीं किया जा रहा है, तो इस विभाग के पत्र दिनांक 20.06.2008 के अनुसार प्रतिमाह 1000/-रु का पुर्नभरण बेसिक, मोबाइल अथवा बेसिक एवं मोबाइल दोनों मय इन्टरनेट तथा ब्रोडबेन्ड की सुविधा यथावत उपरोक्त सीमा तक देय है।

भवदीय

(बद्रीनारायण)

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस

प्रतिलिपि :-

- 1 समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, राजस्थान।
- 2 रक्षित पत्रावली।

संलग्न

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस

M